रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 17, 2007/आषाढ़ 26, 1929
No. 325] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 17, 2007/ASADHA 26, 1929

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2007

सा.का.नि 490(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी सचिव क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते नियम, 2006 के नियम 8, नियम 9 और नियम 10 के साथ पठित कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 29क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड का गठन करती है जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :–

1.	श्री भगवत स्वरूप, भूतपूर्व सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सी-241, भूतल, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024	अध्यक्ष
2.	श्री रवि (रवीन्द्र) कस्तिया, ग्रुप कार्यापालक अध्यक्ष और कारबार प्रमुख, आदित्य बिड़ला ग्रुप, बिड़ला सेंटर मुंबई-400030	सदस्य
3.	श्री राकेश चंद्र, निदेशक, निरीक्षण और अन्वेषण, कारपोरेट कार्य मंत्रालय	सदस्य
परिषद् के नामनिर्दिष्ट व्यक्ति		
4.	श्री कयूर बक्शी, उपाध्यक्ष, भारतीय कंपनी सचिव, संस्थान	सदस्य
5.	श्री हरीश के. वैद, परिषद सदस्य, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान	सदस्य

2. क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते कम्पनी सचिव क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते नियम, 2006 द्वारा शासित होंगे ।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 5/2/2007-सी.एल.-5]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2007

G.S.R. 490(E).—In exercise of the powers conferred by Section 29A of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980) read with rules 8, 9 and 10 of the Company Secretaries Procedures of Meetings of Quality Review Board and Terms and Conditions of Service and Allowances of the Chairperson and Members of the Board Rules, 2006, the Central Government hereby constitutes a Quality Review Board consisting of the following persons, namely :—

1.	Shri Bhagawat Swarup, Ex-Member, Central Board of Direct Taxes, C-241, Ground Floor, Defence Colony, New Delhi-110024	Chairperson
2.	Shri Ravi (Ravindra) Kastia, Group Executive President and Business Head, Aditya Birla Group, Aditya Birla Centre, Mumbai-400030	Member
3.	Shri Rakesh Chandra, Director, Inspection and Investigation, M/o Corporate Affairs	Member
Nominees of the Council		
4.	Shri Keyoor Bakshi, Vice-President, Institute of Company Secretaries of India	Member
5.	Shri Harish K. Vaid, Council Member, Institute of Company Secretaries of India	Member

2. The terms and condition of service and allowances of the Chairperson and Members of the Quality Review Board shall be governed by the Company Secretaries Procedures of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Service and allowances of the Chairperson and Members of the Board, Rules, 2006.

3. This notification shall come into force with effect from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 5/2/2007-CL-V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode